तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर हाकिम
24/8/23	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उप० बहस प्रार्थना पत्र O.7 R.11 व धारा 151 CPC पर सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी (प्रतिवादी) ने निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को ही मेरी बहस मानते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा वादीगण का वाद खारीज फरमाया जावे। बहस में वकील अप्रार्थी (वादी) ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत O.7 R.11 व धारा 151 CPC गलत तथ्यों पर पेश किया है। प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि "भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा परिशोधन पत्र भरा गया जिसमें अंकित किया कि वादवर्णित आराजी नं० साबिक 1230 जिसके हाल नं० 1388 बने हैं यह आराजी कालू पिता भजा के नाम चल रही है परन्तु आपसी बटवारे से यह भूमि ~~कालू~~ केला, गुला पिता मोती जाट के हिस्से में आई है अतः हस्ब रजामन्दी फरीकेन इन्द्राज दुरुस्ती से केला, गुला के नाम दर्ज करने की स्वीकृति है" परिशोधन पत्र भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार किया जिस पर वादी की सहमति के कोई हस्ताक्षर नहीं है। भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकॉर्ड में बिना किसी आदेश या नामान्तरकरण निर्णीत किए परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इस बाबत विधिक दृष्टान्त RLW 2007 (2) RJ 1226 (Raj) मा० राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच गीगाराम व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य S.B. Civil रिट पिटीशन नं० 2947/2002 आदेश दि० 23/7/2007 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।
उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	हमने उभयपक्ष के अभिभाषकों की बहस को

वाद 130/19 हीरालाल V/S मिठूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथ्यों व प्रार्थनापत्र व जवाब प्रार्थनापत्र के तथ्यों एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम चारखेड़ पटवार हल्का चारखेड़ तहसील माण्डल की साबिक आ०नं० 230 रकबा 3बीघा 3बिस्वा भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 में कालू वल्द भजजा सा० देह के नाम पर अन्य आराजीयात के साथ दर्ज रिकॉर्ड थी। सम्वत 2024 के तसरा परिशोधन पत्र संख्या 36 में साबिक आ०नं० 230 जिसके हाल आ०नं० 388 रकबा 2बीघा 9 बिस्वा भूमि को कालू पिता भजा जाट के बजाय केला, गुला पिता मोती जाट सा० देह के नाम A.S.O. द्वारा दर्ज की गई। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी सम्वत 2066 से 69 में यह आराजी नं० 388 मीठूलाल, गोपाल पिता भूरा, चान्दी बेवा भूरा 1/2 बालू पिता गुल्ला 1/2 जाट सा० देह खातेदार इ०नं० 1571 से दर्ज है एवं प्रतिवादी सं० 5 के विरुद्ध वादपत्र के साथ धारा 80(2) जा०दी० का प्रार्थनापत्र पेश कर वाद पेश करने की स्वीकृति चाही है। वाद दर्ज किया इससे यही माना जाएगा कि वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 जा०दी० का नोटिस को क्षम्य किया है। चूंकि राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन सम्वत 2024 में हो गया था तो काज ऑफ एक्शन दिनांक 5/1/2017 को किस प्रकार पैदा हुआ यह दावे में स्पष्ट अंकित नहीं किया है। इस प्रकार वादी ने अपने वाद में कॉज ऑफ एक्शन पैदा होने की दिनांक 5/1/2017 गलत अंकित किए जाने से वाद अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा०दी० के तहत खारिज योग्य पाया जाता है।	

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा०दी० व 151 CPC स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा

डिक्री

(आ० 20 नियम 6 / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान

वईजलास श्री डूंगरसीचन्द रोहलानिया (आर०ए०एस०)

अनवान प्रकरण

श्री हीरा लाल s/o श्री कालू जाट निवासी-चांखेड तहसील-माण्डल

वादी

बनाम

1 श्री मिट्ठूलाल s/o श्री भूरा जाट निवासी-चांखेड तहसील-माण्डल
2 श्री शोभालाल s/o श्री भूरा जाट ——— " ———
3 श्रीमती चांदी बेवा श्री भूरा जाट ——— " ———
4 श्रीमती सोहनी बेवा श्री कालू जाट ——— " ———
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार सा० माण्डल तहसील माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, 188, 92(क) RTA मुकदमा न० / पुराने 20/17 नये 130/19 निर्णय दिनांक 24-08-23
यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरुप अदालत व हिजरी वकील वादी
मिनजानिब मुददई ~~श्री~~ सत्यनारायण सोमानी Adv. मनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म
दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण 01 लगायत 04 द्वारा
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 C.P.C. स्वीकार
करते हुए वादी का वाद पत्र खारीज किया जाता है।

आज तारीख 24-08-23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा